क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	04/05/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~बहस~~/जवाब दिनांक 05/08/2022 को पेश हो।	
	05/08/22	पत्रावली पेश हुई P. O. महोदय अन्य कार्य में व्यस्त होने से तारीख पेश दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 31/5/22 को पेश हो।	
	20/6/22	पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प देवीतला में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/07/22 को पेश हो। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)	
	1/7/22	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/7/22 पेश हुई।	
	5/7/22	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/7/22 पेश हुई।	
	8/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी के वकील उपस्थित। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 10/8/2022 के द्वारा मुन्तकिल प्राप्त ता० 10/2022 को स्थापित किया गया। प्रति पत्रावली में शामिल हो तहसीलदार की रिपोर्ट ... 30	

8/7/22

उपखण्ड अधिकारी
जिला-जयपुर

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ...नगर, जिला-जयपुर

गोपाल बनाम ...लाल

मुकदमा संख्या / वर्ष : 192 / 2013

क्र.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अप्रार्थी गण सं० 14 की ओर से एड० श्री सत्यपाल गुर्जर उपस्थित। अप्रार्थी न० 15, 16 व 19 की तामील रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 24.11.24 को करवाई गई। वकील प्रार्थी हैड रिपोर्ट पेश की। अप्रार्थी सं० 15, 16 आदिनांक तक अनुपस्थित। एवं अप्रार्थी न० 17 व 18 की ओर से एड० श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने दिनांक 3.11.24 को अण्डरटेकिंग दी किन्तु आदिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं किया। इसलिए अप्रार्थी क्र० 15, 16, 17 व 19 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावे। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण रीमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर के निर्णयानुसार खसरा 834, 832 के खातेदारों को पक्षकार बनाकर व तहसीलदार से रिपोर्ट पत्रावली में आ चुकी है।	

P.T.O.

[signature]

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	अनावेदकगण को रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A स्वीकार किया जावे। अनावेदक के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र शर्मा का कथन है कि तहसीलदार से स्थल रिपोर्ट ली जाई हो पत्रावली के बाद आना शेष है इसलिए आगामी पेशी नियत की जावे अनावेदक न० 14 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि प्रकरण में मेरा बयान आना शेष है। लीवाइज दोनों तरफ से रास्ते की जमीन ली जाव तथा मेरी भूमि से जितनी जमीन रास्ते के लिये दी जाती है उतनी ही जमीन मुझे दी जावे उभय पक्षों की बहस सुनी गयी उभय पक्षों को जनवरी 22 से पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके है इसलिये और अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं है बहस सुनने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। (3)

फर्द अहकाम

...ालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

गोपाल बनाम बाबूलाल वगैरह

...मा संख्या / वर्ष : 192 / 2019

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आकर पत्रावली में शामिल किया गया। आदेश की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी बाद प्राप्त दाखिल रिकार्ड हो। 5/7/19 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला–जयपुर	

विशेष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 192/2019 (पुराना 123/2019)

गोपाल पुत्र कल्याण आयु 69 साल जाति मीणा निवासी ग्राम माथासूला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

..................प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्रीनारायण
2. रामलाल पुत्र श्रीनारायण
3. शंकरलाल पुत्र श्रीनारायण

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति मीणा निवासी खोनागौरियान खातीपुरा नीमराज का बाग गोनेर रोड तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

4. शंकर पुत्र ठाकरसी
5. रूघनाथ पुत्र ठाकरसी
6. पांचू पुत्र ठाकरसी
7. छोटू पुत्र ठाकरसी
8. बोदूराम पुत्र प्रभात
9. छोटूराम पुत्र प्रभात
10. मूलचन्द पुत्र प्रभात
11. दामोदर पुत्र तेजा

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति मीणा समस्त निवासीयान माथासूला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

12. गुल्ली पत्नि जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम कुकस तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
14. गीता देवी पुत्री स्वर्गीय भौरी लाल पत्नि भगवान सहाय जाति मीना निवासी ग्राम बसेडी बिशनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।
15. जमना देवी पुत्री स्वर्गीय भौरी लाल पत्नि नरसी जाति मीना निवासी ग्राम मीणों का बाढ नायला तहसील जमवारामगढ जिला जपयुर।
16. राजू देवी पुत्री स्वर्गीय भौरी लाल पत्नि लालाराम जाति मीना निवासी ग्राम मीणों का बाढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

5/7/2

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

17. रोशन पुत्र जगदीश ना0 बा0 जरिये संरक्षिका माता गुल्ली उर्फ गुलाब जाति मीना निवासी बैदाडा की ढाणी शिव विलास होटल के पास ग्राम कुकस तहसील आमेर जिला जयपुर।

18. आशीष पुत्र जगदीश ना0 बा0 जरिये संरक्षिका माता गुल्ली उर्फ गुलाब जाति मीना निवासी बैदाडा की ढाणी शिव विलास होटल के पास ग्राम कुकस तहसील आमेर जिला जयपुर।

19. दिव्या पुत्री जगदीश ना0 बा0 जरिये संरक्षिका माता गुल्ली उर्फ गुलाब जाति मीना निवासी बैदाडा की ढाणी शिव विलास होटल के पास ग्राम कुकस तहसील आमेर जिला जयपुर।

......................अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 05/07/2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें प्रार्थी की शामलाती की भूमि ग्राम माथासूला तहसील जमवारामगढ़ जयपुर में खसरा नम्बर 835 रकबा 0.3300 हैक्टेयर स्थित है प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 832 व 834 के उत्तर की सीमा के अन्दर से होते हुऐ कदीम रास्ता हैं। अतः प्रार्थी की भूमि के खसरा नम्बर 832 व 834 में से रास्ता कायम किया जावे। उक्त प्रकरण में सुनवाई कर दिनांक 05/02/2018 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया।

उक्त निर्णय दिनांक 05/02/2018 की अपील गुल्ली पत्नि जगदीश जाति मीणा निवासी कूकस तहसील आमेर जिला जयपुर ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर के यहां प्रस्तुत की। माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर की अपील संख्या 248/2018 उनवान गुल्ली बनाम गोपाल व अन्य में निर्णय दिनांक 16/11/2018 पारित किया गया।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर के निर्णय दिनांक 16/11/2018 में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 05/02/2018 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि खसरा नम्बर 834 व 832 के समस्त खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर उन्हे सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की जारी की गई। अप्रार्थी सं. 12 की ओर से एडवोकेट श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने यू0टी0 दी । शेष अप्रार्थीगणों को नोटिस

5/7/22

उपखण्ड अधिकारी
जिला-जयपुर

तामील लेकिन उपस्थित नहीं आये। दिनांक 06/11/2020 को प्रार्थनापत्र 07/01/2020 को स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये गये कि वे स्वयं मौके पर जाकर प्रकरण के सम्बन्ध में पुनः रिपोर्ट पेश करे। तथा खसरा नम्बर 832 व 834 के खातेदार कमशः प्रभाती पत्नि भौरीलाल व चन्दी बेवा तेजा को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये।

गीतादेवी की ओर से एक प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का एडवोकेट सत्यपाल गूर्जर ने दिनांक 15/02/2021 को पेश किया जिसे पत्रावली के रिकार्ड पर लिया गया। उक्त प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 के जवाब पेश करने हेतु दो अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् दिनांक 04/03/2021 को प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 को स्वीकार किया गया।

वकील प्रार्थी ने दिनांक 23/12/2021 को संशोधित उनवान पेश किया तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक/आर एन टी/2021/07 दिनांक 02/02/2021 को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमे अंकित किया कि खसरा नम्बर 835 में जाने के लिये खसरा नम्बर 832 व 834 ग्राम माथासूला में 12 फीट की चौडाई में पूर्व तहसील कार्यालय की रिपोर्ट कमांक/आर एन टी/17/135 दिनांक 22/05/2017 के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित होगा।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 10/05/2022 के द्वारा मुन्तकिल प्रार्थनापत्र 10/2022 को खारिज किया गया।

अप्रार्थी सं. 14 की ओर से एडवोकेट श्री सत्यपाल गूर्जर उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 15, 16 से 19 की तलबी रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 24/12/2021 को कराई गई। वकील प्रार्थी ने ट्रेक रिपोर्ट पेश की अप्रार्थी सं0 15, 16 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 17 से 19 की ओर से एडवोकेट श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने अन्डर टेकिंग दी किन्तु आदिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं किया इसलिये अप्रार्थी सं. 1 ता 11 व 15 से 19 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 12 के अधिवक्त श्री पुष्पेन्द्र शर्मा व अप्रार्थी सं. 14 के अधिवक्ता श्री सत्यपाल गूर्जर की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ हैं माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर महोदय के निर्णयानुसार खसरा नम्बर 834 व 832 के खातेदारो को पक्षकार बनाकर व तहसीलदार से रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जावे।

अप्रार्थी सं. 12 के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने अपनी बहस में कहा कि तहसीलदार से स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई हैं पत्रावली में जवाब आना शेष हैं इसलिए आगामी पेशी नियत की जावे।

5/7/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

अप्रार्थी सं. 14 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि प्रकरण में मेरा जवाब आना शेष हैं सीवाडोल के दोनो तरफ से रास्ते की जमीन ली जावे तथा मेरी भूमि जितनी रास्ते के लिये दी जाती हैं उतनी ही जमीन प्रार्थी के दिलाई जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता हैं कि अप्रार्थीगणों को जनवरी 2022 से पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके हैं और अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं इसलिए बहस सुनने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए को स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार आंधी को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम माथासूला के खसरा नम्बर 835 के रास्ते के लिए खसरा नम्बर 832 मे 54 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 834 मे से 40 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा कुल 0.0160 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग मे आयेगी जिसकी डीएलसी की दर से रास्ते की कुल भूमि की गणना राजस्व लेखाकार से करवाकर जो कीमत आती है उसका दो गुणा राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगणों को दिलवाया जावे, यदि उक्त राशि का अप्रार्थीगण नही लेते है तो उक्त राशि को राजकोष मे जमा की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम वादपूर्ति दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 05 जुलाई, 2022 को खुलें न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला--जयपुर